81

संख्याः 682/XXIV-3/13/02(17)2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप महानिदेशक,
एन0सी0सी0 निदेशालय,
बंगला नं0पी–4 नागनाथ रोड,
घंघोड़ा कैन्ट, देहरादून उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 22 अप्रैल, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3208/2013–14/02/वित्त दिनांकः 09 अप्रैल, 2013 के क्रम में वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 284/XXVII (1) 2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय 2013–14 राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **अनुदान संख्या–11** के अन्तर्गत **आयोजनागत पक्ष में रू0 74,80,000** एवं **आयोजनेत्तर पक्ष** में **रू0 11,33,38,000** अर्थात कुल धनराशि **रू0 12,08,18,000 (रूपये बारह करोड़ आठ लाख अट्ठारह हजार मात्र)** की धनराशि का **आवंटन/अलोटमैन्ट इन्टरनेट** के माध्यम से **संलग्नक** में उल्लिखित विवरणानुसार इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सरकारी सेवकों एवं गैर सरकारी सेवकों के वतेन एवं बचनबद्ध मदों में वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी तथा आउट सोर्सिंग आधार पर नियोजित कार्मिकों के वेतन हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान आदि मदों पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा। इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी। उक्त मदों से भिन्न मदों एंव समस्त चालू निर्माण कार्य, उपकरण व संयत्र का क्रय तथा वाहन क्रय की स्वीकृतियॉ के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में दी गयी शर्तो का अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्यक के अनुसार धनराशि विभागवार पृथक से अवमुक्त आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्रमशः........2..

3. बचनबद्ध मदों में यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजूदरी आदि मदों की धनराशि के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एंव अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय–भार सृजित किया जायेगा।

4. अधिष्ठान सम्बन्धी अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किस्तो में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

5. राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटन में बृद्धि हुई हो, उन प्रकरणों के सम्बन्ध में धनराशि व्यय से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. सामान्यतः केन्द्र पोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त जारी किया जायेगा, जिन केन्द्रीय योजनाओं हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है अथवा केन्द्र सरकार की बचनबद्धता परिलक्षित होती है, ऐसी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासन की सहमति हेतु उपलब्ध कराया जाय।

8. अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध तथा पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–133 व 134 के अन्तर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। स्पष्ट किया जाना है कि राजस्व पक्ष से पूँजी पक्ष तथा पूँजी पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोजन प्रतिबन्धित है, अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को न उपलब्ध कराया जाय।

9. जैसा कि बजट मैनुअल के **पैरा–88** में इंगित किया गया है, नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टि गोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय तथा बी0एम0–08 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह बिलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः.........3..

P. Singh

10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. निर्माण कार्यो की लागत व समयबृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के **प्रस्तर–211** (डी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि, सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जांय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष **बी0एम0–17** प्रारूप मे बजट नियंत्रण पंजिका **(Budget Control Register)** में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों पर आवंटन आहरण–वित्त अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियॉ पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा और जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा 80–सामान्य" के अधीन आवंटन/अलोटमैन्ट इन्टरनेट के माध्यम से संलग्नक में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

14. जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

15. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)2013 दिनांकः 30 मार्च, 2013 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

क्रमशः.........4..

संख्याः–682(14)/XXIV-3/13/02(17)2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– निजी सचिव,मा0 मुंख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव,मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव,मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
11– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
12– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या:-682/XXIV-3/13/02(17)2012 दिनांक: 22 अप्रैल, 2013 का संलग्नक।

	लेखाशीर्षक/मानक मद का विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 आय-व्ययक की स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
	अनुदान संख्या-11		
2202 —	सामान्य शिक्षा		
80-	सामान्य		
001-	निदेशन तथा प्रशासन		
03-	एन0सी0सी0 निदेशालय अधिष्ठान		
	01 वेतन	1800	—
	03 मंहगाई भत्ता	1548	—
	04 यात्रा भत्ता	20	—
	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30	—
	06 अन्य भत्ते	360	—
	07 मानदेय	10	—
	08 कार्यालय व्यय	50	—
	09 विद्युत देय	1	—
	10 जलकर/जल प्रभार	1	—
	11 लेखन सामग्री और फोर्मो की छपाई	50	—
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	—
	13 टेलीफोन पर व्यय	50	—
	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	—
	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50	—
	18 प्रकाशन	20	—
	19 विज्ञापन, विक्री और व्याख्यापन व्यय	10	—
	22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	10	—
	27 चिकित्सा व्यय प्रतिप्रर्ति	250	—
	42 अन्य व्यय	50	—
	44 प्रशिक्षण व्यय	100	—
	45 अवकाश यात्रा व्यय	50	—
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	50	—
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	60	—
	योग, 03-	4770	—
800-	अन्य व्यय		
04-	राष्ट्रीय छात्र सेना दल (एन0सी0सी0)		

(एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

	01 वेतन	—	40000
	03 मंहगाई भत्ता	—	34400
	04 यात्रा भत्ता	—	500
	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	—	150
	06 अन्य भत्ते	—	8000
	07 मानदेय	—	3000
	08 कार्यालय व्यय	—	650
	09 विद्युत देय	—	350
	10 जलकर/जल प्रभार	—	60
	11 लेखन सामग्री और फोर्मो की छपाई	—	225
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	—	200
	13 टेलीफोन पर व्यय	—	350
	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	—	1400
	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	—	700
	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	—	2000
	18 प्रकाशन	—	1
	19 विज्ञापन, विक्री और व्याख्यापन व्यय	—	1
	27 चिकित्सा व्यय प्रतिप्रर्ति	—	500
	42 अन्य व्यय	—	20000
	44 प्रशिक्षण व्यय	—	1
	45 अवकाश यात्रा व्यय	—	200
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	—	300
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	—	350
	योग, 04—	—	113338
800 —	**अन्य व्यय**		
06—	**एन0सी0सी0 कैडेटों हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना**		
	21 छात्रवृतियां और छात्रवेतन	50	—
	योग 06—	50	—
800 —	**अन्य व्यय**		—
07—	**एयर स्क्वार्डन एन0सी0सी0 की स्थापना**		—
	01 वेतन	500	—
	03 मंहगाई भत्ता	430	—
	04 यात्रा भत्ता	20	—
	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20	—
	06 अन्य भत्ते	75	

(डी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव
विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

	07 मानदेय	50	–
	08 कार्यालय व्यय	50	–
	09 विद्युत व्यय	30	–
	10 जलकर / जल प्रभार	10	–
	11 लेखन सामग्री / फोर्मो की छपाई	25	
	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30	–
	13 टेलीफोन पर व्यय	20	–
	15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	–
	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800	–
	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	20	–
	27 चिकित्सा व्यय प्रतिप्रर्ति	50	–
	42 अन्य व्यय	300	–
	45 अवकाश यात्रा व्यय	50	–
	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	50	–
	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30	–
	योग, 07	**2660**	
	योग–03+04+06+07=	**7480**	**113338**
	महायोग–आयोजनागत + आयोजनेत्तर (74,80,000 + 11,33,38,000) = 12,08,18,000 (रूपये बारह करोड़ आठ लाख अट्ठारह हजार मात्र)		

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव।